



2026:AHC:167163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27723 सन् 2026

जसवंत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : रवि प्रकाश मिश्रा

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- तथापि, वर्तमान जमानत आवेदन के साथ जमानत निरस्तीकरण आदेश की निःशुल्क सत्य प्रति संलग्न नहीं की गई है तथा आवेदक के अनुसार वह प्रति कहीं खो गई है, किंतु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश वर्ष 2021 का था, इस संबंध में आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अतः वर्तमान जमानत आवेदन पर सुनवाई की जा रही है।
- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मिश्रा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल गौड़ तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 160 सन् 2021, धारा 302 भारतीय दंड संहिता, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त दुष्यंत के साथ अंकित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.07.2021 को सायं लगभग 5.00 बजे आवेदक तथा सह-अभियुक्त दुष्यंत ने प्रथम सूचनादाता के पुत्र पर लोहे की छड़ तथा चाकू से हमला किया, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाया गया संपूर्ण आरोप पूर्णतः असत्य है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा आरोपित उद्देश्य प्रथमदृष्टया असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि यह विश्वास करना कठिन है कि इतने मामूली विवाद पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में भी आवेदक दिनांक 31.07.2021 से कारागार में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से, तथा आज तक 20 साक्षियों में से केवल 5 साक्षियों का परीक्षण किया जा सका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक किसी भी प्रकार से विचारण में विलंब कर रहा है।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शीघ्र विचारण का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में गंभीर वादों में भी उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः वाद के तथ्यों, विशेष रूप से आवेदक के पांच वर्षों से अधिक के दीर्घकालीन कारावास तथा विचारण की धीमी गति को दृष्टिगत रखते हुए, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि घटना को अनेक साक्षियों ने देखा है और सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने सह-अभियुक्त दुष्यंत के साथ मृतक पर हमला किया, जिसके कारण उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, किंतु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था तथा वर्तमान वाद में वह पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से कारागार में है और आज तक 20 साक्षियों में से केवल 5 साक्षियों का परीक्षण किया जा सका है।
10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।
11. तथापि, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त दुष्यंत के साथ अंकित है तथा अभियोजन के अनुसार उसने सह-अभियुक्त के साथ मृतक पर हमला किया, जिसके कारण

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई तथा घटना को अनेक साक्षियों ने भी देखा था, किंतु यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान वाद में आवेदक दिनांक 31.07.2021 से कारागार में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से, तथा आज तक 20 साक्षियों में से केवल 5 साक्षियों का परीक्षण किया जा सका है और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक विचारण में विलंब कर रहा है।

12. विधि सुस्थापित है कि शीघ्र विचारण का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में गंभीर वादों में भी उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि वर्तमान वाद में आवेदक पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से कारागार में है और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि वह विचारण में विलंब कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने **साहिल मनोज मचारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 810** के वाद में ऐसे अभियुक्त के जमानत संबंधी वाद पर विचार करते हुए, जो धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के संबंध में चार वर्षों से कारागार में था, अनुच्छेद संख्या 6 में निम्नलिखित अभिकथित किया है :-

"6. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि याचिकाकर्ता पर हत्या के अपराध का आरोप है, किंतु हमने बार-बार कहा है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, यदि शीघ्र विचारण के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय को जमानत की प्रार्थना पर उचित रूप से विचार करना चाहिए।"

14. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था।

15. अतः, उपर्युक्त विवेचित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, विशेष रूप से आवेदक के पांच वर्षों से अधिक के दीर्घकालीन कारावास तथा विचारण की धीमी गति को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

16. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. आवेदक - **जसवंत** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उपर्युक्त वाद में जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।